

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 421/2018

1. कालूराम पि.मु. आशाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
-वादी.

बनाम्

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।


-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर. ए. एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग मिन जानिब मुदायला
पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 9 डीबीएल के खाता
सं0 5/5 में अंकित वादी के पिता का नाम बीरूराम को दुरुस्त कर बीरूराम के
स्थान पर पि.मु.आशाराम अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....
खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी
तक ~~2012/18~~ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.18 को
जारी किया गया।




(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी